

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-।, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE (Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/47 (जे)/12/7व72 SPMCIL/VIG/47 (J)/12/ दिनांक 09.07.2020 Date <u>09.07.2020</u>

परिपत्र संख्या 06/20/Circular No. 06/20

विषय/Sub:- बिलों में पाई गई विसंगतियों के संदर्भ में/Discrepancies in bills - reg.

बिलों की आकस्मित जांच के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:-During surprise inspections of bills, following discrepancies were observed:

- क) बिल को मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर बिल पर नहीं पाया गया/Signature of Competent Authority for approving the bill was not found on it.
- ख) बिल को प्रमाधित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर बिल पर नहीं पाया गया/No signatures of the official certifying the bills were found
- ग) बिल को मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी की पहचान हस्ताक्षर से स्पष्ट नहीं है/Identification of the official approving the bill is not clear from the signature.
- घ) उन प्राप्तकर्ताओं के कोई हस्ताक्षर नहीं पाए गए जिन्होंने नकद प्राप्त किया था/No signatures of the recipients was found who received the cash
- ड) एडवांस को स्थायी कर्मचारी के नाम पर उठाया गया है लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा नकद प्राप्त किया गया/Advance has been raised in the name of Permanent employee but cash received by Outsourced employee
- च) कुछ बिल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं/Few bills have been certified by outsourcing staff
- छ) यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया था/Purpose of the travel was not mentioned

ज) देर रो बैठे रामय के सेंप बयान संलग्न नहीं शे/SAP statement of late sitting

011-23701225-26 पंत्रीकान कुर्डाल्स्स क्वीं लेखिस ह्वाहरू क्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली- 110001 फैक्स / Fax : 011-23701223 011-43582200 Regd. Office: 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 11000पुष्ठ संस्थारी 2in सिंह असीती.com

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/47 (जे)/12/7-972 SPMCIL/VIG/47 (J)/12/ दिनांक 09.07.2020 Date <u>09</u>.07.2020

- 2. इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करे: -
 - क) आधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षर के नीचे उसका पूरा नाम और पदनाम का उल्लेख होना चाहिए चाहे वे अधिकारी बिल प्रमाणित कर रहा है/ स्वीकृत कर रहा है/ या प्राप्त कर रहा है तथा यह अधिकारी निगम का स्थायी कार्यकारी होना चाहिए/Official signing the bill whether certifying/approving/receiving should mention his/her full name and designation below his signature and the official should be a permanent employee of the Corporation.
 - ख) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन अधिकारियों के नाम से नकद जारी किया जा रहा है, वही नकद प्राप्त करें और किसी ओर अधिकारी को नकदी प्राप्त नहीं होनी चाहिए।/It must be ensured that cash should be received by the officials from whose name, the same is being issued and no official on its behalf should receive the cash.
 - ग) यात्रा से संबंधित विधेयकों को यात्रा के कारण का संकेत देना चाहिए/Bills related to travel should indicate the reason for travelling.
 - घ) उपस्थिति के लिए एसएपी बयान अधिकारी द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए/ SAP statements for attendance should be enclosed by the official.
- 3. यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशां का उल्लघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशां का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा। 3. If these guidelines continues to be flouted in future, it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite vigilance angle.

पृष्ठ संख्या 3 पर जारी -

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/47 (जे)/12/ २०२२ SPMCIL/VIG/47 (J)/12/ -3दिनांक 09.07.2020 Date 09.07.2020

- 4. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की बेवसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
- 4. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
- 5. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
- 5. This issues with the approval of Competent Authority.

25 Ma fraili 10.7.20

(सुनील तिवारी)/(Sunil Tiwari) उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager, टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill, भा.प्र.म्.म्.नि.नि.लि.।/SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

- 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
- 2. निदेशक (तकनीकी/मा.स./वित्त)/Director (Tech/HR/Fin).
- 3. महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/ GMs/AGMs/Joint GMs/DGMs (CHO).
- 4. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
- 5. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.